

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

अनवान हरवस सिंह आदि बनाम लखविकर सिंह आदि

प्रकरण संख्या 67 / 2023 अन्तर्गत धारा 312 RTA

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर जो इस पालन
11 6/24	अधिवक्तागण उपस्थित। जवाब प्राचीन पत्र हेतु सप्रप्त पात्रा। अतिप्र अंतरसर दिया जाता है। 71 की अवधि आगामी पेशी तक बहार जाती है। पत्रावली वास्ते जवाब प्राचीन पत्र दिनांक 09/12/24 को पेश हो।	
12 9/24	वकील फरीकन उपस्थित श्रीमान् PO साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली दिनांक 7/1/25 को पेश हो। <i>Karnar</i>	
1 7/25	वकील फरीकन उपस्थित श्रीमान् PO साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली दिनांक 17/1/25 को पेश हो। <i>Karnar</i>	
17 01/25	अधिवक्तागण उपस्थित। जवाब प्राचीन पत्र हेतु सप्रप्त पात्रा। अतिप्र अंतरसर दिया जाता है। 71 की अवधि आगामी पेशी तक बहार जाती है। पत्रावली वास्ते जवाब प्राचीन पत्र दिनांक 11/2/25 को पेश हो।	
11 02/25	प्राचीगण व प्राचीगण अधिवक्ता उपस्थित नहीं। प्राचीगण व प्राचीगण अधिवक्ता को सूक-र कर उबार आवायु लगवाई गई कोर उपस्थित नहीं आया। प्राचीगण का प्राचीन पत्र अन्तर्गत धारा 312 RTA खारिज किया जाकर प्रकरण में जारी अस्वाधी विषयान्ता दिनांक 23/06/2023 भी विरस्त की जाती है। पत्रावली निर्णित तारीख गम्वर से कम होकर बखिल पत्रावली हो।	



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर